


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 385/2026
अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र फुलाराम जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।
2. जयनारायण पुत्र फुलाराम जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र स्व. फुलाराम जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
2. रामेश्वर पुत्र स्व. फुलाराम जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
3. भागी देवी पत्नि स्व. फुलाराम जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
4. पवन पुत्र हरिसिंह जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिसिंह जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
6. सरोष पत्नि हरिसिंह जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
7. राणी पुत्री हरिसिंह जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
8. भंवरी पुत्री हरिसिंह जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
9. गुडडी पत्नि गोरीशंकर जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
10. राजकुमार पुत्र गोरीशंकर जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
11. प्रताप पुत्र गोरीशंकर जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
12. विमला पत्नि प्रकाश जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
13. टीनू पुत्री प्रकाश जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
14. मीना पुत्री प्रकाश जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
15. तीजा पुत्री नारायणीदेवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
16. भगवानी पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
17. कमला पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
18. नत्थुराम पुत्र नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
19. रधुवीर पुत्र नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
20. धर्मपाल पुत्र नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
21. सुभाष पुत्र नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
22. बनारसी पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
23. विमला पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
24. संजय पुत्र विमला पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
25. अशोक पुत्र विमला पुत्री नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
26. मनोज पुत्र विमला नारायणी देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
27. धर्मपाल पुत्र स्व. भगवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
28. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भगवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
29. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भगवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
30. सरोज देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री स्व. भगवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

55. बिमा देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर

56. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में पारी पत्नि धन्ना 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.7940 हैक्टर भूमि में पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा 174/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा 1/8 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार थी।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में पारी पत्नी धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पारी पत्नी धन्ना जो की वादीगण की दादी है का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी धन्ना के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 है एवं वादीगण के चाचा व ताउ व बुआ का भी देहान्त हो चुका है जिनके वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 55 विधिक उत्तराधिकारी है। इस प्रकार पारी के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 55 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 जो कि वादीगण के भाई एवं माता है एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 चाचा ताऊ के भाई व बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 55 जो कि वादीगण के भान्जा एवं भान्जी दोहयती व दोहता है व प्रतिवादीगण सं. 56 जो भी वादीगण की बुआ है जो अपने भाई व मामा से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा बनता था एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 5 ता 6 व 10 ता 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। एवं वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है इसलिए रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/24 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा

भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.5640 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 174/1391 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 58/1391 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं मृतक पारी पत्नि धन्ना राम छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयो की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 55 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 55 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 56 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी व मृत्यु प्रमाण पत्र बहक पारी, फुलाराम, भगवती देवी, हरिसिंह, गोरीशंकर, सन्तोष देवी, कृष्णा, गोविन्दराम, ताराचन्द, झमनलाल, मोहनलाल, विजेन्द्र कुमार, ओमप्रकाश पेश किये जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में पारी पत्नी धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पारी पत्नी धन्ना जो की वादीगण की दादी है का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी धन्ना के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 है एवं वादीगण के चाचा व ताउ व बुआ का भी देहान्त हो चुका है जिनके वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 5 ता 55 विधिक उत्तराधिकारी है। इस प्रकार पारी के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 55 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 जो कि वादीगण के भाई एवं माता है एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 चाचा ताऊ के भाई व बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 55 जो कि वादीगण के भान्जा एवं भान्जी

दोहयती व दोहता है व प्रतिवादीगण सं. 56 जो भी वादीगण की बुआ है जो अपने भाई व मामा से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते हैं तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा बनता था एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 5 ता 6 व 10 ता 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। एवं वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/24 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.5640 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 174/1391 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 58/1391 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं मृतक पारी पत्नि धन्ना राम छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयो की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं 1 ता 55 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में पारी पत्नि धन्ना 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.7940 हैक्टर भूमि में पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा 174/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि पारी पत्नी धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में पारी पत्नी धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पारी पत्नी धन्ना जो की वादीगण की दादी है का देहान्त हो चुका है पारी पत्नी धन्ना के जायज वारिसान वादीगण व


प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है एवं वादीगण के चाचा व ताउ व बुआ का भी देहान्त हो चुका है जिनके वादीगण व प्रतिवादीगण स0 5 ता 55 विधिक उत्तराधिकारी है। इस प्रकार पारी के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 55 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 जो कि वादीगण के भाई एवं माता है एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 चाचा तारु के भाई व बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 10 ता 55 जो कि वादीगण के भान्जा एवं भान्जी दोहयती व दोहता है व प्रतिवादीगण सं. 56 जो भी वादीगण की बुआ है जो अपने भाई व मामा से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा बनता था एवं वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 5 ता 6 व 10 ता 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। एवं वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है इसलिए रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 1/24 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.5640 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 174/1391 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ब.हि.ब 58/1391 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं मृतक पारी पत्नि धन्ना राम छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आशयो की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है वादीगण द्वारा पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा पारी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 55 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी


 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.5640 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 174/1391 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक पारी पत्नि धन्ना का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

40. विद्या देवी पत्नि ताराचन्द पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
41. किशन कुमा पुत्र स्व. ताराचन्द पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
42. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
43. बुधराम पुत्र ताराचन्द पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
44. पदमाराम पुत्र ताराचन्द पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
45. गुड़ी पत्नि स्व. गोविन्दराम पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
46. मोतीलाल पुत्र स्व. गोविन्दराम पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
47. महेश कुमार पुत्र स्व. गोविन्दराम पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
48. नीलम पुत्री स्व. गोविन्दराम पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
49. मन्जु पुत्री स्व. गोविन्दराम पुत्र स्व. भागवन्ती पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
50. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सन्तोष पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
51. प्रेम पुत्र स्व. सन्तोष पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
52. छोटुराम पुत्र स्व. सन्तोष पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
53. धर्मा पुत्री स्व. सन्तोष पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
54. सुमन पुत्री स्व. सन्तोष पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
55. बिमा देवी पुत्री धन्ना जाति छिम्पा निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
56. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 54 सन 2026 निर्णय दिनांक 01/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 145/153 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 146/154 की कुल तादादी 2.0490 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 197/148 की कुल तादादी 5.5640 हैक्टर भूमि में मृतक पारी पत्नि धन्ना जाति छिम्पा के नाम दर्ज 174/1391 हिस्सा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12 को ब.हि.ब. 58/1391 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक पारी पत्नि धन्ना का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर